न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : धारा सिंह मीना, RAS

अपील संख्या 29 / 2023

1 बीरबल पुत्र बक्ताराम जाति जाट निवासी कुलहरियों की ढ़ाणी तहसील बिसाऊ जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 बंशीधर पुत्र बक्ताराम।

2 लालचन्द पुत्र बक्ताराम।

3 कुशलाराम दत्तक पुत्र रामकरण समस्त जाति जाट निवासीगण कुलहरियों की ढ़ाणी तहसील बिसाऊ जिला झुंझुनू।

4 शाखा प्रबन्धक बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा बिसाऊ तहसील बिसाऊ जिला झुंझुनू।

5 राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार बिसाऊ तहसील बिसाऊ जिला झुंझुनू।

रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्व निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 22.09.2022 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावा बमुकदमा नम्बर 122 / 2022 उनवानी बंशीधर वगैरह बनाम बीरबल वगैरह दावा बाबत घोषणार्थ विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झनू)

उपस्थिति :

1. श्री राजेश मीना, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री सुभाषचन्द्र, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–निर्णय–

दिनांकः–27.4.23

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावा द्वारा मुकदमा नम्बर 122/2022 में पारित निर्णय दिनांक 22.09.2022 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत घोषणार्थ विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा पेश किया गया था। रेस्पोडेन्ट्स संख्या 1 व 2 द्वारा दावे में वर्णित अनुसार कृषि भूमि में से स्वयं के हक हिस्से के अनुसार विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा का दावा में अनुतोष चाहा गया था। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी 1 (अपीलान्ट) की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत किया गया था। उसके बाद दिनांक 22.09.2022 को साक्ष्य वादी व जिरह में नियत की गई थी पत्रावली इससे पूर्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मलसीसर के समक्ष विचाराधीन थी उसके बाद उपखण्ड कार्यालय मण्डावा खुलने के बाद व न्यायालय द्वारा कार्य प्रारम्भ करने के बाद पत्रावली न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावा के यहां स्थानान्तरित हो गई जिसकी सूचना अपीलान्ट को नही थी उसने अपना वकील मलसीसर न्यायालय में पैरवी हेतु नियुक्त कर रखा था उक्त अधिवक्ता प्रार्थी/अपीलान्ट की पैरवी करने के लिए न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावा के समक्ष उपस्थित नही हुआ तथा न ही पैरवी की और न ही पैरवी नहीं करने की सूचना अपीलान्ट अधिवक्ता ने अपीलान्ट को नही दी। दिनांक 22.09.2022 को न्यायालय उपखण्ड मण्डावा ने मामले में सुनवाई की जाकर उसी रोज मनमर्जी से साक्ष्य वादी जिरह बन्द कर दी गई

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

तथा अपीलान्ट की साक्ष्य भी बन्द करते हुए प्राथमिक डिक्री व विभाजन प्रस्ताव का आदेश पारित कर दिया। जिसकी अपीलान्ट को कोई सूचना नहीं थी। इससे व्यथित होकर यह अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में पत्रावली में साक्ष्य वादी की जिरह में नियत चल रही थी। इसी दौरान पत्रावली मलसीसर से मण्डावा स्थानान्तरित हो गई। इसकी अपीलांट को जानकारी नहीं थी। विचारण न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना एक ही दिन में साक्ष्य वादी व प्रतिवादी बंद कर विचाराधीन प्राथमिक डिक्री जारी की है। विचारण न्यायालय का यह निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विपरित है। जानकारी से अंदर मियाद अपील प्रस्तुत की गई है। अपील स्वीकार कर प्रकरण रिमांड किया जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में अपीलांट की जरिये वकील उपस्थिति रही है। पत्रावली स्थानान्तरण होने से पूर्व अन्य अधिवक्ता थे। विचारण न्यायालय में साक्ष्य सुनवाई के उपरांत राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से के अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी की गई है। इससे अपीलांट के हित प्रभावित नहीं होते है। विभाजन प्रस्ताव के विरूद्ध आपत्ति प्रस्तुत करने का अपीलांट के पास अधिकार शेष है। अपीलांट की अपील मियाद बाहर है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में पत्रावली में साक्ष्य वादी की जिरह में नियत चल रही थी। इसी दौरान पत्रावली मलसीसर से मण्डावा स्थानान्तरित हो गई। इसकी अपीलांट को जानकारी होने/देने का कोई साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है। विचारण

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना एक ही दिन में साक्ष्य वादी व प्रतिवादी बंद कर विचाराधीन प्राथमिक डिक्री जारी की है। विचारण न्यायालय का यह निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विपरित है। स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय द्वारा राजस्थान कोर्ट मेन्यूअल के तहत विधिक प्रक्रिया की पालना किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित कर विधिक त्रुटि की है। अतः न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुए अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कंडोन किया जाता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय व डिक्री को अपास्त किया जाकर प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 31.05.2023 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 27/04/23 को सरे इजलास सुनाया गया।

(धारा सिंह मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर